**भारत सरकार**
**विदेश मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 752**
**26.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**विदेशों में भारतीय कामगारों का नौकरी प्राप्त करना**

752. **श्री टी.एन. प्रथापन**:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाड़ी अरब देशों में नौकरियों के राष्ट्रीयकरण की बढ़ती दर पर ध्यान दिया है जिससे इस क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों के लिए प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय कामगारों के लिए खाड़ी देशों में नौकरी सुनिश्चित और सुरक्षित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने नौकरियों के राष्ट्रीयकरण के कारण विभिन्न देशों में भारतीय कामगारों को हुई नौकरियों की हानि का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार उक्त के परिणामस्वरूप खाड़ी देशों में रोजगार खोने वाले लोगों का पुनर्वास करने के लिए तैयार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**(विदेश राज्य मंत्री)**
**(श्री वी. मुरलीधरन)**

**(क)** अपने नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु जीसीसी देश एक ऐसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रीयकरण की नीति के अंतर्गत नियोक्ताओं के लिए नौकरी का कुछ हिस्सा आरक्षित रखना अनिवार्य है। भारत सरकार इस क्षेत्र में उभरती प्रवृत्तियों तथा भारतीय प्रवासी कामगारों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर ध्यान रखती है।

**(ख)** से **(घ)** इस प्रकार की नीतियाँ केवल भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने के लिए नहीं है, और यह सभी विदेशी नागरिकों के संबंध में समान रूप से लागू होती है। इन देशों के साथ उच्चस्तरीय बैठकों में भारत सरकार भारतीय कामगारों के हित तथा कल्याण के बारे में चर्चा करती है। विशिष्ट मुद्दों को संबंधित देश/देशों के ध्यान में उचित रूप से लाया जाता है।

सरकार जीसीसी देशों के समन्वयन से निवासी भारतीय कामगारों के हितों तथा कल्याण की रक्षा करने के लिए कार्य कर रही है, और उन्हें हर प्रकार की सहायता दी जाती है।

**(ङ)** और **(च)** जहाँ तक लौटकर आने वाले कामगारों के पुनर्वास का संबंध है, यह मुद्दा मूल रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। इस संबंध में सरकार राज्यों को अपेक्षित सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहती है।

***